

सत्रहवीं लोकसभा चुनावों में बी0बी0 नगर क्षेत्र की राजनीतिक संस्कृति।

डॉ० कविता वर्मा, सहायक प्राध्यापक:

समाजशास्त्र विभाग,

राजकीय महाविद्यालय बी0बी0 नगर, बुलन्दशहर

स्वतन्त्रता ने भारतीय राजनीतिक संस्कृति के विकास के लिए नये द्वार खोले। नवीन राजनीतिक नेतृत्व ने आधुनिक भारत में राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में कुछ नये परिवर्तन किये जैसे कि सर्वव्यापक व्यस्क मताधिकार, संघीय राजनीतिक स्वरूप, ब्रिटेन तथा अमेरिका की तरह धर्म-निरपेक्ष संविधान, नागरिकों के मौलिक अधिकार, सत्ता का विकेन्द्रीकरण, सामुदायिक विकास योजनाएँ व नीति-निर्देशक तत्वों का प्रावधान आदि। इनके परिणामस्वरूप विभिन्न राजनीतिक दलों का उदय हुआ, संचार के साधनों का विस्तार किया गया ताकि लोगों का राजनीतिक समाजीकरण हो सके, जिससे जनता की अधिक से अधिक संख्या में राजनीति में सहभागिता बढ़ सके तथा जनता लोकतन्त्र के उत्थान और प्रतिनिधित्व के आधार पर कार्य कर सके। प्रथम लोकसभा चुनावों से सत्रहवीं (वर्तमान) लोकसभा के चुनावों में राजनीतिक दलों व मतदाताओं के राजनीतिक कार्यकलापों, निर्णयों, सहभागिता तथा रुझानों में बहुत अन्तर दिखाई देने लगा है। आज हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है, ऐसे में हमारा समाज किस प्रकार राजनीतिक जागरूकता व चेतना फैला रहा है, इसका ज्ञान हमें राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन करके ही हो सकता है।

मुख्य शब्द— संस्कृति, लोकतन्त्र, राजनैतिक संस्कृति,

संस्कृति वह सेतु है जिसके माध्यम से एक जैविक प्राणी सामाजिक प्राणी बनता है। मानव व पशु में देखा जाये तो मात्र संस्कृति का ही अन्तर है। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि संस्कृति मानव जाति के रहन-सहन, आचार-विचार, भावनाओं, विश्वास विचारों तथा विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों का एक समग्र रूप है। जहाँ संस्कृति एक ओर मनुष्य की क्षमता, कुशलता जीवन के आदर्शों एवं प्रमिमानों को बताती है वहीं वह मनुष्य की विभिन्न उपलब्धियों का भी संकलन है, जिनके माध्यम से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समाजशास्त्र में संस्कृति के लिए बोगार्डस कहते हैं कि “किसी समूह के कार्य व विचार करने के सभी तरीकों का नाम ही संस्कृति है।” हर्षकोविट्स कहते हैं— “संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है।”² अर्थात् व्यक्ति सभी ओर से वातावरण से घिरा हुआ है, तो वह सभी कुछ जो प्राकृतिक नहीं है, मानव कृत्य है, वही संस्कृति है। जिसमें आचार -विचार भावनाओं से लेकर मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति की सभी मानव निर्मित वस्तुएँ व आविष्कार संस्कृति है। रूथ वैनडिस्ट ने संस्कृति को एक प्रतिमान के रूप में स्वीकार किया कि व्यक्ति की भाँति संस्कृति भी विचार व क्रिया का एक बहुत कुछ सुस्थिर प्रतिमान है।³ संस्कृति को

समझने के बाद जब हम आज के लोकतान्त्रिक भारत में प्रचलित राजनैतिक संस्कृति की बात करते हैं तो यहाँ यह समझना आवश्यक है कि राजनैतिक संस्कृति क्या है ? वर्तमान में आधुनिक युग में मनुष्य किसी राष्ट्र से सम्बन्धित तो होता ही है तथा एक राष्ट्र का नागरिक होने के नाते वह वहाँ कि राजनैतिक संस्थाओं व व्यवस्थाओं को आत्मसात करता है। अतः एक स्थान विशेष पर प्रचलित राजनैतिक संस्थाओं का प्रचलित रूप वहाँ कि राजनैतिक संस्कृति को अभिव्यक्त करता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने राष्ट्र, देश व राजनैतिक संगठन के प्रति प्रतिउत्तर कर उस राजनैतिक व्यवस्था का सदस्य बनता है। पिछली शताब्दी से ही बौद्धिक विकास के साथ ही विश्व में राजनीति को समझने के वैज्ञानिक प्रयास किये गये हैं, ताकि मानव के हित व विकास के लिए कल्याणकारी कार्यों की व्यवस्था की जाय तथा अब राज्य का सर्वोच्च पद ईश्वरीय शक्ति का पर्याय न मानकर प्रजा का नुमाइन्दा माना जाने लगा, जो कि अपने राज्य की जनता के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी है। अतः सर्वसाधारण के अधिकतम कल्याण व मानवतावादी दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप नयी अवधारणाओं, दृष्टिकोणों व सिद्धान्तों का विकास हुआ। राजनीतिक संस्कृति की संकल्पना भी उनमें से

एक ही है। यह संकल्पना किसी समाज की राजनीति व संस्कृति के परस्पर सम्बन्ध को आधार बनाकर समाज के अध्ययन में सहायता देती है। किसी भी संस्कृति में व्यक्ति के व्यवहार के तरीके, उनकी मान्यताओं, विश्वासों, सम्मान, घृणा, कर्तव्य, अर्न्तआत्मा, भौतिक उन्नति को शामिल किया जाता है। इस आधार पर कह सकते हैं कि संस्कृति व्यक्ति के आचरण, निर्णय लेना, चरित्र, व्यवहार आदि को प्रभावित करती है। व्यक्ति का सांस्कृतिक व्यवहार स्थायी होता है, अतः उसका प्रभाव राजनीति पर भी पड़ता है। राजनीतिक संस्कृति मूल संस्कृति के एक पक्ष का ही संकेत देती है, जिसका सम्बन्ध राजनीति से है। ओ० पी० गावा के अनुसार राजनीति संस्कृतिम के माध्यम से राजनीति के विश्लेषण के लिए संस्कृति के ज्ञान का सहारा लेना है।⁵ राजनीति संस्कृति नामक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गैब्रियल आमण्ड ने 1956 में अपने लेख ब्वउचंतंजपअम च्वसपजपबंस 'लेजमउ में किया था। इसमें इन्होंने लिखा है कि "प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक क्रियाओं की एक विशिष्ट शैली अर्न्तनिहित है। मैंने इसे राजनीतिक संस्कृति का नाम देना ही उचित समझा।"⁶ दूसरी ओर राजनीतिक संस्कृतिम का विचार राजनीतिक दृष्टि से अधिक है और इस दृष्टि से जनमत और राष्ट्रीय चरित्र जैसे विचारों की तुलना में अधिक सीमित कहा जा सकता है।¹² अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा किसी क्षेत्र विशेष की संरचना को अर्थ प्रदान करती है जिस तरह से संस्कृति का विचार सामाजिक जीवन में सामान्यस्य व समन्वय प्रस्तुत करता है।

राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का महत्व—

1. यह अवधारणा किसी समाज की राजनीतिक व्यवस्था व वहाँ की संस्कृति के परस्पर सम्बन्ध को आधार बनाकर समाज के अध्ययन में सहायता करती है।
2. संस्कृति अपेक्षाकृत स्थायी होती है और इसका प्रभाव व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पर भी पड़ता है। अतः इस आधार पर मतदाताओं की राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता को जाना जा सकता है।
3. राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन से राजनीति के विश्लेषण में समूह की संस्कृति के ज्ञान का सहारा लिया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि संस्कृति को जानना राजनीति को जानने की अपेक्षा सरल है।
4. इसके अध्ययन से आदर्श नागरिक संस्कृति के विकास में बाधक तत्वों जैसे— साम्प्रदायिकता,

जातिवाद, गुटबन्दी, व्यक्तिगत सम्बन्ध, भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार और माफिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

5. इसके आधार पर ही राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को व उसके स्थायित्व के विषय को जाना जा सकता है।

साहित्यिक समीक्षा— ग्रेवियल आमण्ड व सिडनी बर्बा की पुस्तक 'द सिविक कल्चर (1972) को राजनीतिक संस्कृति की पथ प्रदर्शक पुस्तक माना गया है। लोकतन्त्र की स्थिरता के लिए जिस राजनीतिक संस्कृति की आवश्यकता होती है उसे उन्होंने नागरिक संस्कृति का नाम दिया है जो कि स्थिर लोकतन्त्र में पायी जाती है। डॉ० श्यामलाल वर्मा द्वारा रचित "आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त में उन्होंने समाज में राजनीतिक अभिवृत्तियों तथा मूल्यों के प्रतीक के रूप में राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज जैसी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है।" राजनीतिक व्यवस्था में राजतन्त्र भी राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन सकता है। ये प्रतीक राजनीतिक संस्थाओं के उन तत्वों को प्रकट करते हैं, जिन्हें आदर्श माना जाता है। इनके अध्ययन से लोगों की भावनाएँ प्रभावित होती हैं। डॉ० प्रभा शर्मा द्वारा एक अध्ययन में भारत में राजनीतिक संस्कृति के एक भाग के रूप में महिला की सहभागिता भारतीय राजनीति में प्रदर्शित होती है। इस अध्ययन में प्रदर्शित किया गया है कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा सुखद नहीं है। हमारे देश की महिलाओं को, देश की राजनीति में प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर नहीं मिल पा रहा है। महिलाओं की जनसंख्या तथा साक्षरता दर दोनों बढ़ रही हैं किन्तु उनकी राजनीति में सहभागिता नहीं बढ़ रही है, जिसके लिए सरकार की महिलाओं के लिए नीति-निर्धारण में पर्याप्त सहभागिता प्रदान करने हेतु लम्बित आरक्षण बिल को शीघ्र पारित करना होगा।¹³

17वीं लोकसभा के चुनावों की कुछ विशेषताएँ

आजादी मिलने के बाद 1950 से भारत गणतन्त्र बन चुका है, लेकिन सभी की नजरें इस पर थी कि भारत लोकतांत्रिक देश कब बनेगा। 1951-52 में पहली बार लोकसभा चुनाव का आयोजन हुआ। इनके लिए महिला-पुरुष में भेदभाव किये बिना सभी व्यक्तियों को मताधिकार दिया गया। 17वीं लोकसभा के गठन के लिए 543 सीटों पर भारतीय आम चुनाव देशभर में 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच 7 चरणों में आयोजित कराये गये। 23 मई को घोषित परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटों पर जीत हासिल हुई। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 2014 में पिछले आम चुनाव के बाद 84.3 मिलियन मतदाताओं की

वृद्धि के साथ 900 मिलियन लोग मतदान करने के पात्र रहे, यह दुनियाँ का सबसे बड़ा चुनाव था। इसमें 46.8 करोड़ पुरुष मतदाता, 43.2 करोड़ महिला मतदाता व 38325 तृतीय लिंग मतदाता रहे। इस लोकसभा के चुनावों में 67.11 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले।

2014 में कुल मतदान 66.40 प्रतिशत, 2004 में 57.98 प्रतिशत तथा 2009 में 56.90 प्रतिशत रहा। महिलाओं एवं पुरुषों के बीच मतदान प्रतिशत का अन्तर 2014 में 1.4 प्रतिशत था जोकि इस बार 0.4 प्रतिशत ही रह गया।¹⁶ इस चुनाव में सबसे बड़ी सैन्य तैनाती का रिकार्ड भी बना। सात चरणों के चुनावों को सम्पन्न कराने के लिए तीन लाख अर्द्धसैन्य बलों के साथ 20 लाख से अधिक राज्य पुलिस अधिकारी और होम गार्ड तैनात किये गये थे।¹⁷ अब चुनावों में जीत के लिए मुद्दों से ज्यादा प्रचार पर भरोसा हो रहा है। प्रचार से जीत की रणनीति बनाने वाली पार्टियाँ अन्त तक जनता को यह नहीं बता सकी कि वे किन-किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। सियासी दलों की बढ़ रही संख्या और सोशल मीडिया के आगमन के कारण चुनाव अभियान से जुड़े प्रचार को द्रुत गति मिली। इस बार बहुत बड़ा बदलाव इसमें देखा गया कि चुनाव अभियान की रणनीति तैयार करने के लिए पेशेवरों की नियुक्ति। अब डोर टू डोर कैम्पेन यानि पदयात्रा कम जरूरी हो गयी है, लेकिन अब इसे हाई-टेम रोड शो में बदल दिया गया है, जिसमें राजनेताओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाता है। पदयात्रा में जहाँ राजनेता लंबी दूरी नापते थे, वहीं अब वे एक बड़ी सी गाडी के ऊपर खड़े होकर अपना हाथ हिलाते रहते हैं। मौजूदा चुनाव में यह भी देखा गया कि तमाम नेताओं ने सरकार बनाने की सूरत में जनहित के काम गिनाने की बजाए एक-दूसरे की आलोचना करना ज्यादा पंसद किया। उन्होंने अपनी ऊर्जा नकारात्मक चुनाव अभियान में खर्च की। व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप के साथ-साथ उन्होंने एक-दूसरे के परिजनों पर भी निशाना साधा।¹⁸ चुनाव आयोग ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए पांच बड़े प्रयास किये गये। पहला ईवीएम का इस्तेमाल धांधली रोकने और मतगणना को आसान बनाने के लिए संसद ने 1988 में जनप्रतिनिधि कानून में धारा-61ए शामिल की गयी, जिससे ईवीएम के इस्तेमाल का रास्ता साफ हुआ। दूसरा जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आपराधिक मामलों में दोषी करार और कम से कम दो साल सजा पाए सांसद-विधायक तत्काल प्रभाव से अयोग्य हो जाएँगे। तीसरा सितम्बर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मतपत्रों ईवीएम में नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) विकल्प

उपलब्ध कराने का आदेश दिया। 2013 में पहली बार छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में नोटा बटन के इस्तेमाल का विकल्प दिया गया था। चौथा सितम्बर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों को अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों और देनदारियों की जानकारी अखबारों-टीवी चैनलों में तीन बार विज्ञापन देकर बतानी होगी। पांचवा भारतीय निर्वाचन आयोग ने धन-बल के प्रयोग पर लगाम को प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा तय कर रखी है। बड़े राज्यों में लोकसभा चुनाव में खर्च सीमा 70 लाख रुपये निर्धारित की गयी है, जबकि छोटे प्रदेशों में यह 54 लाख रुपये है।¹⁹

अध्ययन का औचित्य- राजनीतिक संस्कृति की संकल्पना किसी समाज की राजनीति और संस्कृति के परस्पर सम्बन्ध को आधार बनाकर समाज के अध्ययन में सहायता देती है। सदैव से ही समाज को समझने का एक सशक्त माध्यम संस्कृति रहा है क्योंकि यह किसी समूह की आत्मा होती है और जब हम अपने देश के लोगों के राजनीतिक व्यवहार को समझना चाहते हैं तो इसका साधन केवल राजनीतिक संस्कृति का ज्ञान ही है। 17वीं लोकसभा के चुनाव के दौरान बहुत सी नवीन राजनीतिक घटनाएँ उभर कर आयीं, राजनीति के नये-नये समीकरण बने, कुछ पुरानी राजनीति मान्यताओं को जनसाधारण ने तिरस्कृत किया, अप्रत्याशित राजनीतिक व्यवहार सामने आया। यदि हम अपने देश की राजनीतिक संस्कृति को देखें तो पाते हैं कि हमारी संस्कृति ने राजनीतिक इतिहास में बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन झेले हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन ने पहली बार बड़े स्तर पर राजनीतिक अभिसंचरण किया। स्वतन्त्रता के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लक्ष्य निर्धारित किये गये। यहाँ पर लोकतन्त्र को अपनाया गया, जिसकी वास्तविक सत्ता जनता में निवास करती है और शासन का कार्य जनता के प्रतिनिधियों द्वारा सम्पन्न होता है। इन प्रतिनिधियों का चुनाव मतदान के माध्यम से होता है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि "मतदाता मतदान का निर्णय किस प्रकार करता है?" राजनीतिक व्यवस्था के विषय में जनता कितना ज्ञान रखती है। अर्थात् जनता की राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी किस प्रकार की है। यह भागीदारी हमारी संस्कृति से किस प्रकार प्रभावित होती है। यह जानने के लिए राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन आवश्यक है। हमारे देश में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या शहरों से दूर गाँवों में रहती है। अतः अध्ययन का क्षेत्र ऐसा चुना गया ताकि यह

जाना जा सके कि देश की राजनैतिक व्यवस्था में भागीदारी करने वाली जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार तथा राजनीतिक संस्कृति का विकास कैसे होता है। हमारे देश की पहचान आज विश्व के एक सबसे बड़े लोकतान्त्रिक राष्ट्र के रूप में की जाती है क्योंकि यहाँ पर सरकार का चुनाव व्यस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। हमारे देश में मतदान की आयु 18 वर्ष रखी गयी है, जिसमें देश के सभी नागरिक शामिल हैं। चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, लिंग आदि के हों। देश के व्यस्क नागरिक होने के आधार पर उन्हें लोकतन्त्र में भागीदारी दी गयी है। इसमें वह अपनी पसन्द का स्वेच्छा से किसी भी दल के प्रत्याशी को वोट दे सकते हैं। अतः उनके मतदान से ही देश की प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था का आधार बनता है। अब प्रश्न यह उठता है कि वो कौन सी परिस्थितियाँ तथा सामाजिक सीख व अभिप्रेरणायें हैं जो उसके मतदान के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति अपने समूह व सामाजिक व्यवस्था द्वारा समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से वह सभी अभिप्रेरणायों को ग्रहण करता है जो कि उसमें सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं। अतः प्रस्तुत अध्ययन में इसी बात को आधार माना गया है कि कैसे व्यक्ति राजनीतिक संस्कृति को ग्रहण करता है, जो कि उसके सामाजिक व्यवहार व कार्यों को प्रभावित करते हैं। इस अध्ययन की मौलिकता यह भी है कि इसमें प्रथम बार मतदान में भागी मतदाता की राजनीतिक सीख व संस्कृति का भी अध्ययन किया गया है। जो कि एक मतदाता की मानसिक प्रवृत्ति को जानने का एक साधन भी है तथा मतदाता सामाजिक प्राणी होने के साथ अपने आस-पास के वातावरण से किस प्रकार प्रभावित होता है, का भी अध्ययन किया गया है। निःसन्देह प्रस्तुत अध्ययन मतदाता के व्यवहार की राजनीतिक संस्कृति को समझने का एक प्रयास है।

उद्देश्य—

1. सर्वप्रथम उद्देश्य स्थानीय लोगों में उनकी राजनीतिक जागरूकता को जानना है।
2. मतदाता का व्यवहार मतदान के लिए कैसे प्रभावित होता है, का अध्ययन करना।
3. प्रथम बार मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का व्यवहार तथा उनकी अभिप्रेरणायें क्या रहती हैं तथा मतदान का निर्णय किन बातों से प्रभावित होता है, का अध्ययन करना।
4. स्थानीय राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में मीडिया की भूमिका को समझना।

5. स्थानीय लोगों का अपने क्षेत्र के नेताओं व उनके कार्यों के ज्ञान के बारे में अध्ययन करना है।

शोध प्रारूप— प्रस्तुत शोध पत्र में अन्वेषणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। स्थानीय राजनीतिक संस्कृति को जानने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बी०बी०नगर, नगर पंचायत का अध्ययन किया गया। इसका पूरा नाम भवन बहादुर नगर है जो कि उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले के उत्तर में 34 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। 2011 की जनगणना में इसकी जनसंख्या 10,188 है, जिसमें पुरुष 53 प्रतिशत तथा महिला 47 प्रतिशत है। यहाँ की औसतन साक्षरता दर 60 प्रतिशत है जिसमें कि पुरुष साक्षरता 72 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 46 प्रतिशत है। बी०बी० नगर स्थाना विधान सभा क्षेत्र में आता है तथा मतदान के लिए इसे बूथ क्षेत्रों में बाँटा गया। दैव निदर्शन पद्धति की लॉटरी प्रणाली द्वारा 2 बूथ के मतदाताओं का चुनाव किया गया। तत्पश्चात् उत्तरदाताओं के साथ विश्वसनीयता व सहजता बनाये रखने के लिए स्वयं चयनित निर्देशन के आधार पर साक्षात्कार अनुसूची पूर्ण की गयी। अनुसूची भरवाते समय तथा बातचीत करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि उत्तरदाता किसी प्रश्न पर असहज न हो तथा उनकी गोपनीयता का भी पूरा ध्यान रखा गया।

तथ्यों का संकलन वर्गीकरण व सारणीयन—

अध्ययन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, तथ्य संकलन के लिए प्राथमिक व द्वितीयन स्रोतों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोतों के लिए स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया, जिसमें अपने अध्ययन के उद्देश्य व विषय को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से स्थानीय राजनीतिक संस्कृति को जानने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ आवश्यकतानुसार तथ्य संकलन के द्वितीय स्रोत के रूप में संबंधित साहित्य, सन्दर्भ ग्रन्थ, समाचार—पत्र, पत्रिकाओं, नैट व संबन्धित कार्यालयों से आंकड़ों को प्राप्त किया गया।

विश्लेषण व निष्कर्ष— सारणी नं०—1 से 5 तक सामान्य जानकारी लेने का प्रयास किया गया है, जिसमें उत्तरदाता की आयु—संरचना, धर्म, जाति, शैक्षिक स्तर, आर्थिक स्थिति जानने का प्रयास किया गया है। क्योंकि यह सभी व्यक्ति के सोचने— समझने व स्थिति का विश्लेषण में सहायक होती है।

तालिका नं०—1 (मतदाताओं का आयु स्तर)

आयु— संरचना	आवृत्ति	प्रतिशत
30 वर्ष से कम	52	43.33
31 से 45 वर्ष	27	22.05

46 से 60 वर्ष	26	21.67
60 वर्ष से अधिक	15	12.50
योग	120	100

प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक मतदाता युवा रहे जो कि 30 वर्ष से कम आयु के थे। 22.5 प्रतिशत उत्तरदाता 31 से 45 वर्ष आयु समूह तथा 21.67 प्रतिशत उत्तरदाता 46 से 60 वर्ष की आयु समूह के थे तथा सबसे कम उत्तरदाता 12.5 प्रतिशत 60 वर्ष से अधिक के लोग थे।

तालिका नं0-2
शैक्षिक स्तर

शिक्षा	आवृत्ति	प्रतिशत
इण्टरमीडिएट	51	42.50
स्नातक	40	33.33
परास्नातक	10	08.33
अन्य	19	15.84
योग	120	100

प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता (42.5 प्रतिशत) इण्टरमीडिएट थे। 33.33 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक थे। 15.84 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अन्य किसी प्रकार की तकनीकी शिक्षा जैसे आई टी. आई. डिप्लोमा आदि किया हुआ था। सबसे कम उत्तरदाता 8.33 प्रतिशत परास्नातक रहे।

तालिका नं0-3 जाति संरचना

जाति	आवृत्ति	प्रतिशत
सामान्य	39	32.50
अ0पि0जाति	72	60.00
अनु0जाति /जनजाति	09	07.50
योग	120	100

तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता अन्य पिछड़ी जाति से सम्बन्धित थे जो कि 60 प्रतिशत थे। 32.5 प्रतिशत उत्तरदाता सामान्य जाति तथा 7.5 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जाति के थे।

तालिका नं0-4 धार्मिक संरचना

धर्म	आवृत्ति	प्रतिशत
हिन्दू	109	90.83
मुस्लिम	11	09.17
सिख	00	00
अन्य	00	00
योग	120	100

सर्वाधिक उत्तरदाता हिन्दू थे जो कि 90.83 प्रतिशत थे तथा इसके बाद मुस्लिम जो कि 9.17 प्रतिशत रहे। इसके अतिरिक्त सिख तथा अन्य किसी और धर्म को मानने वाले नहीं थे।

तालिका नं0-5 आर्थिक स्थिति

आय (मासिक)	आवृत्ति	प्रतिशत
5000 रु0 से कम	88	73.33
5000 से 10000 रु0 तक	21	17.5
10000 से 15000 रु0 तक	11	9.17
15000 रु0 से अधिक	—	—
योग	120	100

सर्वाधिक उत्तरदाता अर्थात् 73.33 प्रतिशत की मासिक आय 5000 रु0 तक थी, क्योंकि अधिकांश इस क्षेत्र में छोटे कृषक व कृषि मजदूर हैं अथवा छोटे दुकानदार हैं। 17.5 प्रतिशत उत्तरदाता की मासिक आय 5000 से 10000 रु0 तक की है तथा 10000 से 15000 रु0 तक आय वाले मात्र 9.17 प्रतिशत ही उत्तरदाता रहे।

तालिका नं0-6

केन्द्र सरकार के दल की जानकारी

उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	120	100
नहीं	00	00
योग	120	100

राजनीतिक जागरूकता के लिए प्रश्न पूछने पर पूर्ण सकारात्मक इसका प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ। सभी उत्तरदाता यह जानते थे वर्तमान में केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।

तालिका नं0-7

महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों की जानकारी

पद	हाँ		नहीं		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
प्रधानमंत्री	120	100	—	—	120	100
राष्ट्रपति	85	70.83	35	29.17	120	100
मुख्यमंत्री	120	100	—	—	120	100
राज्यपाल	65	54.16	55	45.84	120	100

अपने देश व प्रदेश में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत विभिन्न राजनीतिज्ञों के बारे में पूछा जाने पर ज्ञात हुआ कि सभी 100 प्रतिशत उत्तरदाता देश के प्रधानमंत्री तथा अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम तथा सम्बन्धित दल के बारे में पूर्ण जानकारी रखते हैं किन्तु वही राष्ट्रपति का नाम जानने पर केवल 70.83 प्रतिशत ही उत्तरदाता अपने देश के राष्ट्रपति का सही नाम बता पाये तथा मात्र 54.16 प्रतिशत उत्तरदाता अपने प्रदेश के राज्यपाल के नाम को जानते थे।

तालिका नं०-8

चुनावों द्वारा जनसाधारण के जीवन पर प्रभाव

उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	110	91.66
नहीं	10	8.34
योग	120	100

तालिका से स्पष्ट होता है कि 91.66 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं चुनावों द्वारा जन साधारण के जीवन पर प्रभाव पड़ता है तथा जब भी सरकार बदलती है तो उनके जीवन व आसपास के वातावरण पर कुछ न कुछ सकारात्मक बदलाव अवश्य पड़ता है, वही 8.34 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि सरकारें व दल आते-जाते रहते हैं और बदलते रहते हैं किन्तु जन-साधारण के जीवन पर कोई विशेष अन्तर नहीं आता।

तालिका नं०-9 मतदान का निर्णय

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
स्वयं	101	84.17
परिवार के कहने पर	13	10.83
अन्य	06	05.00
योग	120	100

लोकतंत्र की आधारशिला ही मतदान है तथा मतदान किसे करना है इसका निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अतः यह जानने के लिए जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि उन्हें मतदान किसे करना तो 84.17 प्रतिशत का कहना था कि वह स्वयं अपनी सूझबुझ से व जिस व्यक्ति व दल से प्रभावित होते हैं, निर्णय करते हैं, वही 10.83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि अपने परिवार या बड़े लोगों के कहने पर वह किसी विशिष्ट व्यक्ति या दल को मतदान करते हैं तथा 5 प्रतिशत ने माना कि मतदान का निर्णय वह अपने साथियों, दोस्तों के प्रभाव में आकर करते हैं।

तालिका नं०-10 प्रथम बार मतदान

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	24	20
नहीं	96	80
योग	120	100

तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन करते समय 20 प्रतिशत मतदाता ऐसे थे जिन्होंने कि इस लोकसभा के चुनावों में प्रथम बार मतदान किया तथा 80 प्रतिशत इससे पहले भी विभिन्न चुनावों में अपने मतदान का प्रयोग कर चुके थे।

तालिका नं०-11

मतदान को प्रभावित करने वाले कारक

आधार	आवृत्ति	प्रतिशत
सोशल मीडिया	29	24.16
प्रत्याशी	42	35.00
घोषणा-पत्र	12	10.00
दल	15	12.50
धर्म व जाति	22	18.34
योग	120	100

प्रस्तुत तालिका प्रदर्शित करती है कि मतदान के लिए मतदाता कैसे प्रभावित होता है। 24.16 प्रतिशत मतदाताओं का मानना था कि सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, वॉट्सएप के माध्यम से उन्हें विभिन्न दलों व प्रत्याशियों के कार्यों की जानकारी को आधार मानकर वह किसी विशिष्ट प्रत्याशी के लिए मतदान करते हैं। वही सर्वाधिक मतदाता (35 प्रतिशत) मानते हैं कि उनके क्षेत्र के प्रत्याशी से प्रभावित होकर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। मात्र 10 प्रतिशत उत्तरदाता मतदान के लिए विभिन्न दलों के घोषणा-पत्रों पर ध्यान देते हैं। 12.5 प्रतिशत मतदाता किसी विशिष्ट दल से प्रभावित है अतः वह दल के आधार पर अपने मत का प्रयोग करते हैं, वही 18.34 मतदाता मानते हैं कि वह अपने धर्म व जाति वालों का ही मतदान करना पसन्द करते हैं।

तालिका नं०-12

विभिन्न दलों से सम्बन्धित उत्तरदाता

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	08	6.66
नहीं	112	93.34
योग	120	100

तालिका से स्पष्ट है कि मात्र 6.66 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं कि वह किसी विशिष्ट दल से सम्बन्धित हैं, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य, या जानने वाला या कोई सम्बन्धी चुनावों में प्रतिभाग कर रहा था। ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति अपने जानने वालों को समर्थन देने तथा उसको प्रचार करने की रही। 93.34 प्रतिशत उत्तरदाता चुनावों के समय किसी भी दल या प्रत्याशी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित नहीं थे।

तालिका नं०-13

निश्चित दल के समर्थक

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	22	18.33
नहीं	98	81.67
योग	120	100

तालिका से स्पष्ट है कि 81.67 प्रतिशत उत्तरदाता किसी निश्चित दल के समर्थक नहीं थे। वह विभिन्न चुनावों के समय समयानुसार व अपने विवेक से विभिन्न दलों व प्रत्याशियों को मतदान करते रहते हैं अर्थात् किसी निश्चित दल को ही हर बार मतदान नहीं करते। वही 18.33 मतदाताओं ने माना कि वह किसी निश्चित दल के समर्थक है तथा विभिन्न चुनावों में एक ही दल को अपना समर्थन तथा मत देते हैं।

तालिका नं०-14 मतदान करने का कारण

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
मतदान कर्तव्य है	118	98.33
सगे-सम्बन्धियों को जीताना है	02	01.67
दल-विशेष के लोग प्रभावित करते हैं।	00	00
योग	120	100

प्रस्तुत तालिका में उत्तरदाताओं से मतदान का कारण पूछा गया तो 98.33 प्रतिशत ने माना कि लोकतन्त्र में अपना मतदान करना उनका एक राजनैतिक कर्तव्य है तथा देश के जिम्मेदार नागरिक होने के कारण यह उनकी ड्यूटी है कि वह अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें तथा सभी को करना चाहिए। वही 1.67 प्रतिशत मतदाता मानते हैं कि चुनावों में उनके सगे-सम्बन्धी रहते हैं तो उन्हें जीताने के लिए वह मतदान करते हैं। किसी भी उत्तरदाता ने यह स्वीकार नहीं किया कि चुनावों के समय किसी तरह का प्रलोभन व दल-विशेष के लोग उन्हें प्रभावित करते हैं इसलिए वह मतदान करते हैं।

तालिका नं०-15

चुनावी घोषणा-पत्र के बारे में जानकारी

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	34	28.33
नहीं	86	81.67
योग	120	100

प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि मात्र 28.33 प्रतिशत उत्तरदाता चुनावों के समय विभिन्न दलों द्वारा घोषित चुनावी घोषणा-पत्रों की वह जानकारी रखते हैं तथा कहीं न कहीं अपने मतदान के प्रयोग के समय उससे वह प्रभावित भी होते हैं। किन्तु 71.67 प्रतिशत मतदाता चुनावी घोषणा-पत्र जैसे आवश्यक प्रपत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते।

तालिका नं०-16

सरकार की गतिविधियों की जानकारी के साधन

साधन	आवृत्ति	प्रतिशत
अखबार	31	25.83
दूसरों से सुनना	13	10.84

सोशल मीडिया	29	24.16
टी0 वी0 द्वारा	47	39.17
योग	120	100

देश तथा प्रदेश की सरकार की गतिविधियों व कार्यों की जानकारी के साधन के बारे में पूछने पर ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक उत्तरदाता 39.17 प्रतिशत यह मानते हैं कि टी0 वी0 तथा विभिन्न समाचारों के चैनलों द्वारा उन्हें सरकार के कार्यों व उपलब्धियों की जानकारी मिलती है तथा विभिन्न चैनलों पर दिखायी जाने वाले सरकार की नीतियों पर कार्यों की बहस पर यह उत्तरदाता पूरी नजर रखते हैं। सबसे कम (10.84 प्रतिशत) उत्तरदाता यह मानते हैं दूसरों लोगों से सुनकर तथा वार्तालाप करके उन्हें सरकारी नीतियों तथा विभिन्न दलों के कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। 25.83 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार वह अखबारों के माध्यम से अपने देश व क्षेत्र में सरकारी उपलब्धियों के बारे में जानते हैं, 24.16 प्रतिशत उत्तरदाताओं की जानकारी का स्रोत सोशल मीडिया है और इस समूह में सर्वाधिक युवा मतदाता थे।

तालिका नं०-17

चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को प्रलोभन

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	02	1.66
नहीं	118	98.34
योग	120	100

सर्वाधिक उत्तरदाता (98.34 प्रतिशत) मानते हैं कि चुनाव प्रचार के समय तथा चुनावों के दौरान उन्हें किसी भी दल या प्रत्याशी के द्वारा अपने पक्ष में करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जबकि मात्र 1.66 उत्तरदाता मानते हैं कि चुनाव प्रचार के समय कुछ प्रत्याशी या दलों द्वारा खाने-पीने की चीजें तथा कभी कभी पैसों का लालच भी दिया जाता है।

निष्कर्ष तथा सुझाव- बी0बी0 नगर क्षेत्र में राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन से संबंधित उपर्युक्त पूर्ण विश्लेषण के प्रकाश में यह कहा जा सकता है कि सभी उत्तरदाताओं को अपने महत्वपूर्ण पदों पर आसीन विभिन्न राजनीतिज्ञों व दलों की जानकारी है किन्तु राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के बारे में वह कम जानकारी रखते हैं क्योंकि उनके चुनावों व कार्यों से जनसाधारण प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं है। क्षेत्र के लोग अपनी राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग हैं तथा मतदान में भाग लेना वह अपना नागरिक कर्तव्य व जिम्मेदारी मानते हैं, क्योंकि वह मानते हैं कि चुनावों द्वारा सरकारों के बदलने से उनके सामान्य जीवन व

देश के विकास का सीधा सम्बन्ध है। अपने राजनीतिक व नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता के कारण वह मतदान स्वयं अपने विवेक के आधार पर दल व प्रत्याशी का चुनाव करते हैं। अपने क्षेत्र की नेताओं व विभिन्न दलों के कार्यों की पद्धति व उपलब्धियों के बारे में जानकारी का वर्तमान उभरता स्रोत सोशल मीडिया है तथा युवा व प्रथम मतदाता सबसे अधिक सोशल मीडिया से प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही विश्लेषण करना पसन्द करता है। दैनिक समाचार पत्र द्वारा भी इसकी पुष्टि की गयी जिसमें कहा गया कि दो लाख गुप बने भाजपा की ताकत तथा टिवटर फेसबुक नहीं, इस बार व्हाट्सएप बना भाजपा का सबसे बड़ा हथियार तथा सोशल मीडिया ने चुनाव प्रचार को नया रंग दिया तथा पहली बार के वोटर्स को बूथ तक खींचने में कामयाब रही, सोशल साइट, फेक न्यूज बेलगाम रही।²⁰ यह प्रदर्शित करती है कि वर्तमान में राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सोशल मीडिया की अहम भूमिका रही। अध्ययन के दौरान यह भी देखा गया कि कुछ मतदाता स्वयं ही किसी न किसी दल से प्रभावित थे तथा वह निश्चित दल के ही समर्थक थे, क्योंकि वह उसकी नीतियों संदर्भ ग्रन्थ—

1. बोगार्ड्स ई0 एस0, "सोशियोलॉजी" मैकमिलन कम्पनी न्यूयार्क, 1950, पृ0-95
2. हर्षकोविट्स एम0 जे0, "मैन एण्ड हिज वर्क्स", अल्फ्रेड ए0नूफ, न्यूयार्क, 1956, पृ0-17
3. बैनेडिक्ट रूथ, "पैटर्न्स ऑफ कल्चर," रूटलैण्ड एण्ड कीजल पॉल, लन्दन, 1904, पृ0-47
4. क्रोबर व क्लहकहॉन, 'कल्चर: ए क्रिटीकल रिव्यू ऑफ कानसेप्ट एण्ड डेफिनेशन,' हॉवर्ड यूनिवर्सिटी म्यूजियम, कैम्ब्रिज, 1952, पृ0 -181
5. गावा ओ0पी0, 'विश्वकोष राजनीति विज्ञान' नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2002, पृ0-198
6. गैब्रियल आमण्ड, 'कम्पेरिट पोलिटिकल सिस्टम', द जर्नल ऑफ पोलिटिक्स 18, नं0-3 (1956): पृ0 391-409
7. वर्मा एस0पी0, आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1998 पृ0-293
8. वर्मा श्यामलाल, समकालीन राजनीतिक चिन्तन एवं विश्लेषण सोहन प्रिंटिंग सर्विस, दिल्ली, पृ0 440
9. लूशियन डब्ल्यू0पाई, पोलिटिकल कल्चर एण्ड पोलिटिकल डवलपमेंट, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1996, पृ0 513
10. शर्मा प्रभुदत्त, अभिनव राजनीतिक चिन्तन, 1197, पृ0 162
11. वही पृ0 163
12. डा0 ललिता, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा: एक ग्रामीण समालोचनात्मक अध्ययन, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध पृ0 27
13. शर्मा डा0प्रभा, भारतीय राजनीति में महिलाओं की सहभागिता एवं सशक्तीकरण, राधा कमल मुखर्जी: चिन्तन परम्परा, वर्ष 17 अंक 2 जु0 दि0, 2015 पृ0 72- 75
14. डा0 ललिता, वही पृ0 165
15. सिंह उदयभान, व मौर्या लवली, पंचायती राज संस्थाओं में महिला सहभागिता व जागरूकता, राधाकमल मंखर्जी: चिन्तन परम्परा, वर्ष 17 अंक 2, जु0 दि 2015, पृ0 46-49
16. शीर्षक 'लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड 67.11 प्रतिशत वोटिंग: हिन्दूस्तान, 21 मई 2019, पृ0 2
17. शीर्षक 'सबसे बड़ी सैन्य तैनाती का रिकार्ड बना', हिन्दूस्तान, 21 मई 2019, पृ0 2
18. शीर्षक 'मुद्दों से ज्यादा प्रचार पर भरोसा', हिन्दूस्तान, 21 मई 2019, पृ0 12
19. शीर्षक 'लोकतन्त्र की मजबूती के लिए पांच बड़े प्रयास, हिन्दूस्तान, 1 मई 2019, पृ0 13
20. शीर्षक 'दो लाख गुप बने भाजपा की ताकत', अमर उजाला, 21 मई 2019, पृ0 15

तथा कार्यों से प्रभावित रहे हैं। राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में चुनावी घोषणा पत्रों की भी अहम भूमिका रहती है क्योंकि यह घोषणा-पत्र देश की नीति व विभिन्न दलों के कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, हालांकि चुनावी घोषणा-पत्रों के बारे में जानकारी सभी मतदाता नहीं रखते। कुछ मतदाता अपने धर्म व जाति के आधार पर भी मतदान करते हैं जो कि यह प्रदर्शित करता है कि धर्म व जाति देश के चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है साथ ही वह भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। निःसन्देह निर्वाचन आयोग इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि चुनाव निष्पक्ष रहे तथा आचार संहिता का उचित पालन हों, तो इसमें स्थानीय प्रशासन को ओर भी सर्तकता के साथ कार्य करना चाहिए तथा कहीं भी संदिग्ध तत्व व प्रलोभन बातें व चुनाव प्रचार पर पैनी नजर रखनी चाहिए। युवा वर्ग, विशेष कर प्रथम बार मतदान करने वालों को अफवाह इत्यादि पर ध्यान न देकर पूर्ण सर्तकता के साथ अपने बहुमूल्य मत का प्रयोग करना चाहिए, तभी एक सकारात्मक तथा लोकतन्त्र को मजबूत करने वाली राजनीतिक संस्कृति का निर्माण हो सकता है।